न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 47 / 2023
प्रकरण दायर दिनांक 17.07.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः 29.11.2024

उनवान

1. कन्हैया पुत्र रामसहाय
2. रूगनाथ पुत्र रामसहाय

जाति गुर्जर निवासी चोरवाडा तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्रीया
2. भगवानसहाय पुत्र श्रीया

जातियान गुर्जर नि. चोरवाडा

3. जरिये शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा बडियाल कलां तहसील बॉदीकुई जिला दौसा
4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मानपुर तहसील सिकराय (दौसा)
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अभिधारी तहसीलदार महोदय, तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि भूमि खाता सं. नया 93 पुराना 93 के आराजी खसरा नं. 466 लगायत 469, 526, 527, 528, 528 / 774, 532 / 810, 552, 554 लगायत 559, 599, 611, 612 कुल किता 19 कुल रकबा 5.85 हैक्ट. वाके ग्राम चोरवाडा तह. बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण काबिज काश्त खातेदार हैं। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 526 व 527 में आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में नहीं है तथा उक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी सं. 01 व 02 की भूमि खसरा नं. 523 / 808 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण खसरा नं. 523 / 808 में बरंग सुर्ख रास्ते ए. बी. सी. डी. में होकर ही अपने काश्त के लिए ट्रैक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि उपयोग में काम आने वाले साधनों को लाते ले जाते हैं। रिकार्डेड रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को खेती काश्त के समय भारी असुविधा का सामना करना पडता है। इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नं. 523 / 808 में से खसरा नं. 526 व 527 में आने–जाने के लिए आराजी खसरा नं. 523 / 808 में बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी. 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण 01 व 02 की आराजी खसरा नं. 523 / 808 में से रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि के एवज में आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को भी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 02 के खेत खसरा नं. 523 / 808 में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 526 व 527 में

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

आने–जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी. से दर्शित है में रास्ता देने के लिए आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषिराज शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सं. 3, 4 एवं 5 बावजूद जर्ये रजिस्ट्री ए. डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण सं. 3, 4 एवं 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब एवं प्रारंभिक आपत्ति पेश किया गया कि उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण या अन्य व्यक्तियों ने कभी भी वादग्रस्त खसरा नं. 523/808 का इस्तेमाल रास्ते के रूप में नहीं किया है। और ना ही मौके पर रास्ते के निशानात मौजूद हैं। वादग्रस्त खसरा नंबर 523/808 का अस्तित्व मौके पर नहीं रहा है। प्रार्थीगण अपनी आराजी तक आने जाने के लिए मुख्य रास्ते से होकर खसरा नं. 325/799 के पूर्वी दिशा से खसरा नं. 531 को क्रास करके खसरा नं. 526, 527 में आते जाते रहे हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज फरमाने की कृपा करें। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) तहसील बॉदीकुई की ओर से रिपोर्ट पेश की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रारंभिक आपत्ति में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रारंभिक आपत्ति, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम चोरवाडा खाता सं. नया 93 पुराना 93 के खसरा नं. 526, 527 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्व जमाबंदी संवत 2074–77 ग्राम चोरवाडा खाता सं. नया 57 पुराना 58 खसरा सं. 523/808 अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादी द्वारा आराजी ख. नं. 526 व 527 में आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में नही है। अप्रार्थी (प्रतिवादीगणों) की भूमि खसरा नं. 523/808 रकबा 0.17 हैक्ट. में से 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया। जिसकी जॉच रिपोर्ट मुताबिक 180 मी. x 5 मी. = 900 वर्गमीटर चाही गयी है। जो प्रतिवादीगणों की खातेदारी भूमि है। युको बैंक शाखा बडियाल कलॉ के रहन दर्ज है। ग्राम चोरवाडा के आ. ख. नं. 526, 527 के लिए सडक से नजदीकी रास्ता आराजी खसराा 523/799 की पूर्वी भूमि से लगता हुआ उत्तर दक्षिण लम्बाई में तथा दक्षिण भुजा से लगता हुआ पूर्व–पश्चिम की लम्बाई 150मी x 5 मी. = 750 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के लिए आती है। आराजी खसरा नं. 523/799 खातेदार बीलाराम, रंगलाल, रामधन पि. रामनिवास ब.हि.ब. हि 1/2 राहिन एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा बान्दीकुई बाबूलाल पुत्र रामनिवास हि. 1/6 राहिन बी.ओ.बी. शाखा बॉदीकुई रामेश्वर हजारी पि. रामनिवास हि. 1/3 ब. ह.ब. बिना रहन दर्ज रिकार्ड है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी खसरा नं. 526 व 527 में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नं. 523/808 में से 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण की भूमि आ. ख. नं. 526, 527 में आने–जाने के लिए सडक से नजदीकी रास्ता आराजी खसरा नं. 523/799 की पूर्वी भूमि से लगता हुआ उत्तर दक्षिण लम्बाई में तथा दक्षिण भुजा से लगता हुआ पूर्व–पश्चिम की लम्बाई 150मी x 5 मी. = 750 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित की गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट में आराजी खसरा नं. 526, 527 के लिए और कोई चालू वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ना ही अन्य कोई नजदीकी/सुविधाजनक रास्ता बताया है। तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के अवलोकन से आराजी ख. नं. 526 व 527 में आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में नही है और ना ही आराजी खसरा नं. 526, 527 के लिए और कोई चालू वैकल्पिक रास्ता है। आ. ख. नं. 526, 527 के लिए सडक से नजदीकी रास्ता आराजी खसरा

उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

23/799 की पूर्वी भूमि से लगता हुआ उत्तर दक्षिण लम्बाई में तथा दक्षिण भुजा से लगता हुआ र्व–पश्चिम की लम्बाई 150मी X 5 मी. = 750 वर्ग मीटर भूमि है। राज्य सरकार द्वारा RTACT की संशोधित धारा 251 "ए" खातेदार एवं काश्तकार को रास्ते की सुविधा की भावना से संशोधित किया गया है जिसके अनुसार कम दूरी पर सुविधानुसार काश्तकार अपने खेतो पर सुगम तरीके से पहुंच सके। तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट दिनांक: 26.11.2024 में आराजी खसरा नं. 526, 527 के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने के कारण तथा न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित होने के मध्यनजर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 526 एवं 527 में आने–जाने हेतु तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट में प्रस्तावित आराजी खसरा 523/799 की पूर्वी भूमि से लगता हुआ उत्तर दक्षिण लम्बाई में तथा दक्षिण भुजा से लगता हुआ पूर्व–पश्चिम की लम्बाई 150मी X 5 मी. = 750 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु अवाप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए बरूये तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण प्रा.पत्र 251 "ए" राजस्थान टीनेन्सी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 93 पुराना 93 के आराजी खसरा नं. 526 एवं 527 वाके ग्राम चोरवाडा तह. बॉदीकुई में आने जाने के लिये आराजी खसरा नंबर 523/799 की पूर्वी भूमि से लगता हुआ उत्तर–दक्षिण लम्बाई में तथा दक्षिणी भुजा से लगता हुआ पूर्व–पश्चिम की लम्बाई 150मी X 5 मी. = 750 वर्ग मीटर भूमि रास्ते हेतु अवाप्त की जाती है। रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बॉदीकुई को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार बॉदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करें तथा तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न नक्शा जिसमें लाल स्याही से उक्त अवाप्त रास्ते के लिए भूमि प्रस्तावित की है को विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

29/11/24

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार बाँदीकुई के पत्र क्रमांक/भू० अभि०/2024/7131 दि० 26-11-2024 द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्ति, संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बाँदीकुई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार बाँदीकुई के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण प्रा०पत्र धारा 251 'A' R.T.Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली पेश मुताबिक होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29/11/24 उपखण्ड अधिकारी बाँदीकुई

Scanned with OKEN Scanner